छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,
मंत्रालय,
दाऊकल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 05 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10–6/2011/वा.कर(आब.)/पांच (6)– छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ), एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप–नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, **विदेशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबल) के लिए**, जिसका छत्तीसगढ़ में विक्रय किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में परिवहन किया जाए या जिसका छत्तीसगढ़ में आयात किया जाय या जिसका छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाए, फीस के रूप में **रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख)** केवल विहित करती है।

2/ उक्त संशोधन दिनांक **01 अप्रैल 2011** से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के.राय)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 05 फरवरी, 2011

क्रमांक एफ 10–6/2011/वा.कर(आब.)/पांच (6) :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ10–6/2011/वा.कर (आब.)/पांच (6), दिनांक 05 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के.राय)
उप सचिव

C:\Documents and Settings\aasu\My Documents\All Deptt\Excise\Rules Sansodan\xxx.doc

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Commercial Tax (Excise) Department,
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur Dated 05 February, 2011

No. F- 10-6/2011/CT(Ex.)/V(6)- In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g), and (h) of Sub-section (2) and proviso to Sub-section (3) of Section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) pursuance of the provisions of sub-rule (3) of rule 9 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession to the notification issued in the past in this behalf, the State Government hereby prescribes **Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh)** only, **as Registration fee for each labal of Foreign Liquor** which may be sold in Chhattisgarh or transported into Chhattisgarh or imported into Chhattisgarh and exported from Chhattisgarh.

2/ This amendment shall come into force with effect from **1st April, 2011.**

By order and in the name of
the Governor of Chhattisgarh,

(V.K.Rai)
Deputy Secretary

C:\Documents and Settings\aasu\My Documents\All Deptt\Excise\Rules Sansodan\xxx.doc